

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

रामजी के नाम राजा

दिनांक : 16/04/2025

107

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

16/4/25 को पत्रावली पेश हुई।
 संघ द्वारा आज कन्डोलेन्स किये
 जाने के कारण, व्यक्ति कार्यवाही नहीं
 की जा सकी। पी.ओ.सा अन्य कार्य में
 व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वाबुसार
 दिनांक 16/4/25 को पेश हो।

16/04/2025

पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी
 उपस्थित।

अपराधी संख्या 1, 2, 5, 7, 8,
 9 की अति से अर्वाक प्रणय पेश है।
 शेष अति विरही अति अनुसार संख्या 2
 शामिल पायी गयी। उपखण्ड कार्यवाही
 अमल में लायी जानी है।

उपस्थित विद्वान अधिकारी
 अतः उपखण्ड 7-7 पर मुता गयी। पत्रावली
 वापस आदेश के दि. 12/04/2025 अतः पेश
 है।

Rajw
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर, जिला - जयपुर

12/04/2025

पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी
 उपस्थित। उपखण्ड 7-7 पर उपस्थित
 विद्वान अधिकारी मुता गयी।
 पत्रावली अतः अमल में लायी गयी।
 मुता वापस विद्वान कम्प्लेंट निषेधात्मक
 अतः दि. 12/4/25 को अमल में लायी गयी।

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जम्मायखनाम राजा

प्रकरण संख्या :- 108/2024
2023

T-7.

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में
		<p>श्री राजकुं रिया राजा न्यायालय नदी लम्बाई है। अतः पूर्वदिना दि. 05/09/2024 श्री मिस्टर रिया राजा है। प्रथम प्रथम उक्त सुविधा शिखर मखं अपुकीप रिया राजा है पर मं प्रतीत नदी होती है। अतः प्रथम अम्हाई निषेधाज्ञा खा रिया राजा है। आदेश मुनाथा गया। प्रथमकी कैमल हुमाद द्वारा इव नम्बर से वसूली</p>

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर, जिला- जयपुर